न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 167/23 निर्णय दिनांकः 09-04-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/388)

1. नारायणराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी भादला हाल चक 18 के एल डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी राणासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19—07—2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः—

1. श्री पुरूषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरज चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 19—07—2023 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/46, मुरब्बा नम्बर 34/47 एवं मुरब्बा नम्बर 34/55 में निहित है। उक्त मुरब्बा नम्बरान् में कुछ रकबा आराजीराज दर्ज रिकार्ड था। जिसके आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी थी। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के मिडियम पेच आवंटन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन आदेश से कर दिया गया जबकि अपीलांट का मिडियम पेच प्रार्थना पत्र विचाराधीन था एवं जिस पर तहसील स्तर से रिपोर्ट भी आवंटन से पूर्व कर दी गई थी। अपीलाधीन अराजी अपीलांट के मुरब्बे में स्थित है तथा वादगत भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरीयता भी अपीलांट की ही बनती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 19 केएलडी में है तथा अपीलाधीन अराजी चक 18 केएलडी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन पट्टा जारी करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् का प्रार्थना पत्र लम्बित रहा है। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियमपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 19–07–2023 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होने आगे कथन किया कि वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच आवंटन किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिडियम पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का वर्णन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी एवं समस्त चिपते काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित भी किया गया था। अपीलाधीन अराजी बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलाधीन अराजी शुद्ध रूप से अराजीराज होने, किसी प्रकार के स्थगन से प्रभावित नहीं होने तथा किसी प्रायोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की स्थिति में ही वादगत भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट को पूर्व में स्मालपेच आवंटन में भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा अपीलांट अराजी जैर का आवंटन करवाने के लिए हकदार नही होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 का अवलोकन किया गया। इस नियम के अनुसार –**14-A. Allotment of medium patch.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, medium patch of Government land may be allotted to a tenure tenant whose tenure land adjoins such medium patch, subject to the ceiling area [Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of the medium patch, the allotting authority may allot such medium patch to the tenure tenants of the same chak or the adjoining chak subject to the ceiling limit: Provided further that if more than one tenant apply for the allotment of the same medium patch, the allotment shall be made by sealed bid to the highest bidder subject to the ceiling limit.**

उक्त नियम एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसील कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 77 दिनांक 17–11–2022 द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 11–10–2022 को प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी चिपते काश्तकारों की सूची तैयार की गई। उक्त सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के मुरब्बें में निहित भूमि रही है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि समीपस्थ चक में स्थित है। प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व प्रक्रिया की पालना का प्रश्न है? इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रापली के साथ संलग्न नोटिस का अवलोकन किया। अन्य चिपते काश्तकारों को जो नोटिस जारी किये गये है उक्त नोटिस क्रमांकएसडीओ/खाजू/आवंटन/2023/347–49दिनांक 09–06–2023 जारी किया गया है उक्त नोटिस दिनांक 09–06–2023 को जारी होना अभिलिखित किया गया है एवं आपत्ति हेतु दिनांक 23–06–2023 नियत की गई तथा नोटिस पर चस्पा रशीद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नोटिस दिनांक 21–06–2023 को जारी किया गया है एवं वादगत भूमि का आवंटन दिनांक 19–07–2023 को कर दिया गया ऐसे में नोटिस तामील हेतु एक माह का समय भी प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अराजी के आवंटन हेतु चालान जारी किये जाने का आदेश दिनांक 19–07–2023 को किया गया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त चालान को दिनांक 19–07–2023 को प्रातः 08:25 पर ही जमा करवा दिया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 09–06–2023 का भी अवलोकन किया। उक्त नोटिस पर किसी चिपते काश्तकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त 7 अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता बनाई गई। यदि उक्त भूमि मिडियम पेच के रूप में विक्रय योग्य धोषित भी की गई है तो आवंटन नियम 9 से 12 तक में निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए सार्वजनिक सूचना के तहत 30 दिन के भीतर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने थे। आवंटन अधिकारी ने सार्वजनिक व व्यक्तिगत नोटिस तामील की किसी प्रकार की कोई सुनिश्चतता किये बिना ही दिनांक 19–07–2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भंवरलाल पुत्र जीवणराम के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया। यदि भूमि का विक्रय खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों को आमंत्रित करते हुए किया जाता तो सरकार को अतिरिक्त आय होती। आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी की यह कार्यवाही मनमानी एवं नियत विरूद्व है, जिसके तहत अन्य पड़ौसी खातेदारों को आवेदन करने से जानबूझकर वंचित किया गया है तथा सरकार को राजस्व हानि पहुँचाई गई है।

7. अतः उक्त विवेचना एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–07–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत भूमि बाबत सर्वप्रथम यह अभिनिर्धारण करे कि अपीलाधीन अराजी मिडियम पेच आवंटन नियमों के अनुरूप आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? एवं अपीलाधीन अराजी मिडियम पेच आवंटन हेतु भूमि होने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर मिडियम पेच के नियमों एवं समीपस्थ काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09-04-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर